20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

माननीय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्र. क्र. / R 1393-I-17

रामकिशन पुत्र सोपती , उम्र 60 साल
निवासी ग्राम दिगुवा तह. सेवडा जिला दतिया
म. प्र. --- आवेदक

दिनांक 17-5-17 को
श्री राम सेवक शर्मा
अभि० द्वारा प्रस्तुत
17-5-17

विरूद्ध

रामसिह पुत्र नन्दकिशोर निवासी ग्राम
दिगुवा तह. सेवडा जिला दतिया म.प्र.
--- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.स. 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.9.15 द्वारा पारित न्यायालय अपर आयुक्त सम्भाग ग्वालियर प्र. क्र. 12/14-15 अपील रामकिशन विरूद्ध रामसिह के निर्णय से दुखी होकर ।

श्रीमान जी,

आवेदक की निगरानी तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत है:-

1. यह कि, आवेदक द्वारा सर्वे क्र. 273 रकवा 0.607 में से हिस्सा 1/2 भाग को अनावेदक को अपने घरू शादी मकान आदि के वास्ते कुछ रूपया उधार लिया था जिसके एवज में उक्त सर्वे नम्बर का कुछ भाग बंधनामा के रूप में रखा दिया था कि हम आपको पैसा समय पर वापिस कर देंगे मय ब्याज के 0 तो आप हमारा उक्त सर्वे नम्बर का भाग वापस कर देना इस सम्बंध में रामसिह द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति प्रकरण के साथ सैलग्न है ।

2. यह कि, उक्त बंध नामा (विक्रय पत्र) के आधार पर अनावेदकगण द्वारा ग्राम पंचायत दगवा के नामान्तरण पंजी ...

F-0

R 1393-I/17 दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27/4/18	प्रकरण पेश। निगरानी कर्ता अभि०उप०। अनावेदक अभिभाषक भी उपस्थित। उपरोक्त निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग द्वारा अपील प्र० क्र. 12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 29.05.15 के विरुद्ध की गयी है, साथ में म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। निगरानी कर्ता अभि. का कहना है, कि प्रकरण में सिविल न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन है, अतः अपीलीय न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जावे। उभय पक्ष अभि० के तर्क श्रवण उपरान्त व निगरानी के संलग्न विवादित आदेश के विचारण उपरान्त, यह परिलक्षित होता है, कि धारा 5 म्याद अधिनियम के आवेदन में दिये गये कारण पर्याप्त नहीं है, जिससे आवेदन स्वीकार किया जावें, साथ ही सिविल न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण किस बारे में है, यह भी स्पष्ट नहीं है। यदि प्रकरण सिविल न्यायालय में लंबित है, तो निगरानी कर्ता वहां से समाधान प्राप्त कर सकता है। निगरानी कर्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य तथ्यों पर विचार करते हुये मैं यह निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि निगरानी में पर्याप्त बल नहीं है, तथा निगरानी ग्राह्य हेतु पर्याप्त आधार नहीं है, अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल दफ्तर हो। सदस्य	27-4-18 27-4-18